

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उप पत्र श्याम सुन्दर मुकाम मुंझुर
मंड केशोर पुत्र सोनाराम जाट बनाम सरकार जिल्हा तहसीलदार मुंझुर
 किस्म मुकदमा जाट-पत्र श्याम सुन्दर मु. नं. 70 सन 2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-10-17	<p>प्राची का जाट-पत्र श्याम सुन्दर का ड जांच तहसीलदार मुंझुर के प्राप्त होने पर पेशुडका है तहसीलदार मुंझुर के अपनी रिपोर्ट के ग्राहक मण्डाका की जमाबंदी सम्बन्ध 2069-2072 के खाता सं 230 व 334 के प्राची का नाम केशोर पुत्र सोनाराम जाति जाट दर्ज है जो गलत है जिसके ह्वाता पर मंड केशोर पुत्र सोनाराम जाति जाट पुकेलत किया जाने की अनिशंका की है हुक्म जाट-पत्र के संलग्न दस्तावेजों व रिपोर्ट ह्वाका परकारी मण्डाका व मू. अ. नि. वृत्त मण्डाका एड एल्टर पाठशाला सर्टिफिकेट फेनकार्ड आधार कार्ड, राशनकार्ड कार्ड पार्सेड प्रमाण पर के व अनिशंका तहसीलदार का ह्वाता सर्वेडअपलोकात किया गया। जिसके अनुसार प्राची का जाट-पत्र स्वीकार किया जाना उपरि उतीत होता है अतः</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेवा</u></p> <p>प्राची के खाता सुन्दर जाट-पत्र एड रिपोर्ट ह्वाका परकारी। ह्वाका गिरदार तथा अनिशंका तहसीलदार मुंझुर के आधार पर राजस्वाट - मू. राजस्व अधिनियम 1951 की धारा 136 के अनुसार के ग्राहक मण्डाका तहसील व जिला मुंझुर की जमाबंदी सम्बन्ध 2069-72</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम ज हुक्म की तारीख जारी हुए हुक्म
	<p> से खाना सं 230 व 334 में वर्तमान के दर्जे प्रिविटेड आमुद किशोर पुत्र सोनाराम जाट जाट के बजाय नन्द किशोर पुत्र सोनाराम जाट मुद किया जाकर राजस्व रिकार्ड के शामिल- दरायड के शादेवा दिये जाने के तहमीलदार सुभ्र का फर्द अहकाम देली जारी है। पाठ-पद- दर्जे रजिस्टर किया जाकर फल मुफ्त है। एड कार्ड तहमील दाखिल दफतर है। </p> <p style="text-align: right;"> ↓ उपर्युक्त अधिकारी मुदा (नर.) </p>	